पंचदश

बिहार विधान-सभा

अष्टम् सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 23 फाल्गुन, 1934 (श0) / 14 मार्च, 2013 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	 02
(2)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	 01
(3)	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	 01
	कुल योग	.. 04

कार्रवाई करना

34. श्री संजय सरावगी—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनांक 26 अप्रील, 2012 को प्रकाशित शीर्षक "खाद्यान्न ढोने वाले ट्रकों में जी0पी0 एस0 अनिवार्य" को ध्यान में रखते हुये, क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के अप्रील, 2012 के निर्णय के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सरकारी अनाज का उठाव करने वाले ट्रकों में जी0पी0एस0 लगाना अनिवार्य कर दिया गया है जिससे अनाज उठाव करने वाले ट्रकों के मुवमेंट पर नजर रखा जा सके ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त व्यवस्था को लागू करने के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम के माध्यम से ग्लोबल टेंडर निकाला गया था, जिसके प्रत्युत्तर में दरभंगा, गया, पश्चिम चम्पारण, औरंगाबाद, पूर्णियाँ, अररिया और समस्तीपुर आदि जिलों में निविदा भी प्राप्त हो चुकी थी परन्तु अभीतक किसी जिले में एफ0सी0आई0 के अनाज ढोने वाले ट्रकों पर जी0पी0एस0 नहीं लगाया गया है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सरकारी आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले ट्रकों के मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों पर कार्रवाई

35. डॉ0 अच्युतानन्द—दैनिक समाचार–पत्र के दिनांक 16 फरवरी, 2013 के अंक में छपी खबर "सिस्टम पी गया पेयजल" शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के 28 जिलों में लगभग 24,420 टोले आर्सेनिक एवं फ्लोराइडयुक्त जल से प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विभाग को उपरोक्त क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु लगभग 396.51 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त 24420 टोलों में से अभीतक मात्र 1,375 टोलों को ही प्रदूषण निवारण कार्यक्रम में शामिल किया गया है ;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आवंटन राशि प्राप्त होने के बाद भी मात्र 1375 टोलों को ही कार्यक्रम में शामिल कर शेष टोलों को छोड़ देने का क्या औचित्य है और सरकार इसके लिए दोषियों पर कौन–सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

36. श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2005 में केन्द्र सरकार द्वारा "जेनुरूम" योजना के तहत राज्य सरकार को 709.98 करोड़ रूपये आवंटित किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार ने पटना शहर तथा गया शहर के 22,372 गरीब परिवारों को वर्ष 2005 से 2012 के बीच पक्का मकान देने का लक्ष्य निर्धारित किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि निर्धारित लक्ष्य 22,372 यानि बाईस हजार तीन सौ बहत्तर घरों में से 30 जून, 2012 तक मात्र 544 घरों का निर्माण कार्य ही प्रारम्भ हो सका है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विगत सात साल की अवधि में शेष 21,828 घरों के निर्माण नहीं कराने का क्या कारण है तथा सरकार उसे कबतक निर्माण कराने का विचार रखती है ?

बोरिंग गाड़ना

37. श्री छोटे लाल राय—क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत 38 नये बोरिंग कर जलापूर्ति करने का निर्णय वर्ष 2010 में लिया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि 38 चयनित स्थानों में वार्ड संख्या 4 शेखपुरा शिव–पार्वती गली सहित कुल 10 बोरिंग गाड़े गए हैं एवं वार्ड नं0 5 के शेखपुरा घाघड़ा पट्टी ब्रह्मस्थान के नजदीक चयनित स्थान सहित 28 स्थानों पर अबतक बोरिंग नहीं किया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि गाड़े गए बोरिंगों से अबतक जलापूर्ति नहीं किया जा रहा है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गाड़े गए बोरिंगों से अविलम्ब जलापूर्ति कराने एवं शेष 28 बोरिंग को गाड़ने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक ?

———

पटना :
दिनांक 14 मार्च, 2013 (ई0)।

फूल झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 256–डी0टी0पी0–450